विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय,
तेनुघाट परियोजना, हजारीबाग।

पत्रांक 609 क'/

प्रेषक,

विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी,
तेनुघाट परियोजना, हजारीबाग।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,
कोडरमा।

हजारीबाग, दिनांक 13/10/2017

विषयः– **तिलैया नहर सिंचाई परियोजना हेतु चन्दवारा एवं जयनगर में अर्जनाधीन भूमि का SIA प्रतिवेदन (DRAFT) प्रकाशन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में कहना हैकि कोडरमा ज़िला में तिलैया नहर सिंचाई परियाजना हेतु अंचल चन्दवारा एवं जयनगर के अन्तर्गत 25 ग्रामों में कुल 128.935 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इस क्रम में भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 6 के तहत् SIA प्रतिवेदन का प्रकाशन समुचित सरकार/उपायुक्त के वेबसाईट पर डाला जाना आवश्यक है।

अत– अनुरोध हैकि विनोबा भावे विशविद्यालय, हजारीबाग द्वारा समर्पित SIA (DRAFT) Report को कोडरमा जिला के nic के वेबसाईट पर अपलोड करना सूनिशचित की जाय।

विश्वास भाजन

विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी
तेनुधाट परियोजना, हजारीबाग।

उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा।
(विशेष भू–अर्जन शाखा)

SIA प्रतिवेदन का प्रकाशन (भू–अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैकि कोडरमा जिला में तिलैया नहर सिंचाई परियोजना हेतु अंचल, जयनगर एवं अंचल चन्दवारा के अन्तर्गत 25 ग्रामों मे कुल 128.935 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इस कम में भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 4 के तहत् SIA कराया गया, राज्य SIA इकाई विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबांग के द्वारा SIA प्रतिवेदन एवं समाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना SIMP समर्पित किया गया है।

उक्त SIA एवं SIMP का प्रकाशन प्रश्नगत् अधिनियम की धारा 6 के आलोक में जिला कोडरमा के वेबसाईट www.koderma.nic.in पर अपलोड किया जाता है, साथ ही उक्त प्रतिवेदन की प्रति अपर समाहर्त्ता, कोडरमा, विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, तेनुघाट परियोजना, हजारीबाग अंचलाधिकारी, जयनगर एवं चन्दवारा के कार्यालय में आम लोग/प्रभावित ग्रामीणों के लिए उपलब्ध है।

विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी,
तेनुधाट परियोजना, हजारीबाग।

ज्ञापांक 609 /

हजारीबाग दिनांक 13/10/2017

प्रस्तावित तिलैया नहर सिंचाई परियोजना हेतु
भूमि अधिग्रहण का समाजिक समाघात मूल्यांकन

सामाजिक समाघात मूल्यांकन का प्रतिवेदन–प्रारुप

समर्पित

श्री संजीव कुमार बेसरा, *भा.प्र.से.*

उपायुक्त, कोडरमा

निवेदनकर्ता

अभय कुमार सिन्हा

परियोजना समन्वयक सह नोडल पदाधिकारी

समाजिक समाघात मूल्याकंन, इकाई

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

5.5 सामाजिक समाघात अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष एवं सिफारिशें

सामाजिक समाघात मूल्याकंन, रैय्यतो की भागीदारी पद्वति पर आधारित एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा भू–अर्जन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के समाजिक लागत तथा सामाजिक–आर्थिक लाभ का मूल्यांकन का पहल किया जा रहा है। किसान का भूमि से भावानात्मक लगाव होता है। यह रैय्यतो के लिए स्थिर पूँजी के रूप में जाना जाता है। भूमि पर लगभग सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। यह किसानो के आजीविका का मुख्य साधन है।

परियोजना प्रभावित परिवारों कि अनुमानित संख्या 1467 (21 ग्रामों के हितबद्ध रैयतों के सर्वेक्षण के आधार पर) है यद्यपि यह संख्या अर्जनाधीन भूमि, जो कुल 118.905 (संशोधित रकबा–128.935 एकड़) एकड़, एवं 21 ग्रामों की संशोधित सूची उपलब्ध करायी गई जिसके अन्तर्गत कुल रकबा 87.105 एकड़ है, दोनों परिस्थिति को देखते हुए काफी अधिक नहीं प्रतीत होता है। दरअसल, विस्थापना की दृष्टिकोण से समाघात लगभग शून्य है तथा जीविका की हानि काफी कम है। यह परियोजना किसी भी आवासीय या व्यवसायिक संरचना का विस्थापन नहीं करता है। औसतन भूमि अधिग्रहण प्रति परिवार लगभग 0.059 अथवा 0.081 अथवा 0.088 एकड़ के करीब आता है(विभिन्न कुल अधियाचित रकबा के अनुसार)।

सरकार के द्वारा भू–अर्जन के लिए मुआवजा दर एक एकड़ के वर्तमान दर से चार गुणा देने का प्रवधान। जो सामाजिक आर्थिक रूप से संतोषजनक दर है। सर्वे का उद्देश्य शोध के निष्कर्ष, सर्वेक्षणकर्ता का विचार तथा ग्राम सभा एव व्यक्तियों के विचार के आधार पर निम्न मुख्य निष्कर्ष एवं सिफारिशें प्रस्तुत है:

- परियोजना का मूल आधार सिंचाई है जो पूर्ण रूप से लोक हितार्थ है।
- इस परियोजना में शासन की अधिकारिकता निहित रहेगी, जिससे यह लोक प्रयोजन की श्रेणी में आता है।
- वैधानिक रूप से सरकार से उचित मुआवजा मिलने पर हितबद्ध रैय्यतों को भूमि अधिग्रहण किए जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

- चूंकि उक्त परिगणन के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि लागत–लाभ अनुपात (Cost-Benefit Ratio) 2.43 है, अतः यह इंगित करता है कि यह परियोजना लाभकारी एवं जनकल्याणकारी है तथा अधियाचित रकबा का भू–अर्जन कर प्रस्तावित परियोजना का परिपालन किया जाना आवश्यक है।

- अधिग्रहण की जा रही भूमि का मुआवजा का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत किया जायेगा।

- यह परियोजना रेखीय अधिग्रहणों की श्रेणी के अंतर्गत आती है जिसमें भूमि का एक छोटा भाग ही अधिग्रहण किया जाता है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में किसी भी परिवार का पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं है।

- पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए परियोजना द्वारा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

- परियोजना के आने से प्रभावित गाँव एवं आसपास के लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।

- महिला सशक्तिकरण के लिये स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाना चाहिए जिससे कि महिला अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।

- प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर कोई विशेष नाकारात्मक प्रभाव नही पड़ेगा एवं रैखिक (Linear)। अधिग्रहण होने के फलस्वरूप पर्यावरण पर भी कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

- इस परियोजना में जलपथ विभाग (जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार) के सर्वे शतो के अनुसार न्युनतम भूमि का अर्जन प्रस्तावित है।

- इस परियोजना में विस्थापन की संख्या शुन्य है।

- इस परियोजना में किसी भी प्रकार की सरकारी भवन, नहर, स्कूल, स्वास्थ केन्द्र, देवस्थल आदि प्रभावित नही हो रही है।

- किन्तु परियोजना के अर्न्तगत जमकट्टी ग्राम की श्मशान घाट की भूमि (कुल रकबा– 0.13 एकड़) अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। चूंकि यह धर्म से जुड़ा विशेष सामुदायिक स्थल है, अतः नहर के आरेखन में उचित विचलन करते हुए उक्त श्मशान घाट की भूमि का अधिग्रहण पूर्णतया नहीं होना चाहिए।

- इस परियोजना के लिए सभी विकल्पों का अध्ययन के पश्चात् सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त विकल्प का चयन किया गया है।

- परियोजना क्षेत्र के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से संबंधित अंचलों के भू अभिलेख ठीक नहीं हैं। अतः इन्हें पुनः प्राप्त कर एवं उचित सुधार कर इनका अद्यतनीकरण / आधुनिकीकरण करना आवश्यक है।
- मुआवजा राशि के वितरण के पूर्व ऐसे लोगों की पहचान सुनिश्चित कर ली जाए जिनकी जमीन परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जा रही है। इस बात के ठोस उपाय किए जाएं कि सही व्यक्ति को ही मुआवजे का भुगतान हो।
- जमीन की प्रकृति निर्धारित कर भू स्वामियों को तत्काल समय पर उनकी जमीन का मुआवजा राशि का भूगतान सुनिश्चित किया जाए।
- प्रभावित परिवार की मुआवजा राशि पति–पत्नी के बैंक या डाकघर में संयुक्तरूप से जमा हो।
- संयुक्त परिवारों के विखंडन का समाघात – परियोजना के लिए जमीन बिक्री या भू–अर्जन के वक्त खातों का विभाजन हो जाता है जिससे संयुक्त परिवारों में विखंडन की संभावनाएं बढ़ जाती है, किन्तु साथ–साथ उसके एवज में प्राप्त मुआवजे की राशि के सदुपयोग से उनके आर्थिक जीवन में सुधार भी आ जाती हैं। लोग अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा दिलाने में समर्थ हो सकते हैं तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की सुविधा भी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा अपने जीविका को और भी सरल बना सकते है।
- परियोजना की वजह खेतिहर मजदुर जैसे परियोजना प्रभावित कुल लोगों की आय में गिरावट की आशंका है। ऐसे लोगों को रोजगार में मदद उपलब्ध करानी होगी। इन्हें परियोजना की निर्माण अवधि में वहां रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए।
- ऐसे परिवार, परियोजना से जिनका व्यवसाय अथवा उनके व्यवसाय की संरचना प्रभावित हो रही हो, पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इनको होने वाले नुकसान का उचित आकलन कर पर्याप्त मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही इन्हे संस्थागत साख दिला कर पुराना जीवनस्तर हासिल करने में मदद की जानी चाहिए।
- स्थानीय संसाधन आधारित मूल्य संवर्धन इकाई स्थापित कि जाए।
- क्षेत्र को राष्ट्रीय मानचित्र पर कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए।
- परियोजना प्रभावित गांव के लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिंचाई नहर के विविध बिन्दुओं पर आर पार पुल बनाने की मांग की है। इस मांग को व्यवहारिता की पड़ताल के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है।
- स्थानीय जल उपयोगकर्ता संघ; स्थानीय सिंचाई प्रबंधन समीति अथवा जिला सिंचाई परामर्शी इकाई या अभिकरण, अगर गठित ना हो तो, का गठन करना अति आवश्यक है।

विकास की प्रक्रिया जैसे–जैसे आगे बढ़ती है और नये मोड़ लेती है, भूमि की माँग बढ़ती है। नये कार्यों के लिए भूमि की आवश्कता होती है व परंपरागत उपयोगों में अधिक मात्रा में भूमि की माँग की जाती है। सामान्यतया नये उपयोगों अथवा परंपरागत उपयोगों में बढ़ती हुई भूमि की माँग की आपूर्ति के लिए कृषि के अर्न्तगत भूमि को काटना पड़ता है और इस प्रकार भूमि कृषि उपयोग से गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है।

हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताऐं श्रम अतिरेख व कृषि कार्य है। ऐसी अवस्था में कृषि उपयोगों से भूमि का चला जाना गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकता है। जहाँ इस प्रक्रिया से एक ओर सामान्य कृषक के निर्वाह श्रोत का विनाश होता है, दुसरी ओर समग्र अर्थव्यवस्था की दृष्टी से कृषि प्रदार्थों की माँग और आपूर्ति में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो सकते है। कृषि पदार्थों की आपूर्ति में अर्थव्यवस्था में अनेक अन्य गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है।

इसलिए यह आवश्यक समझा जाता है कि विकास प्रक्रिया के दौरान जैसे–जैसे भूमि की माँग बढ़ती है उसी के साथ ही बंजर, परती तथा बेकार पड़ी भूमि को कृषि अथवा गैर कृषि कार्यों के योग्य बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए की खेती–बाड़ी के लिए उपलब्ध भूमि के क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी न आए वरन जहाँ तक संभव हो कृषि योग्य परती भूमि में सुधार करे। कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध भूमि में वृद्धि ही की जानी चाहिए।

अध्याय 6 लागत–लाभ विश्लेषण

6.1पृष्ठभूमि

परियोजना का मूल आधार सिंचाई है जो पूर्ण रूप से लोक हितार्थ है। चूंकि इसमें शासन की अधिकारिकता निहित रहेगी, परियोजना लोक प्रयोजन की श्रेणी में आता है। सिंचाई नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता अपरिहार्य है।

जहां परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होती है वहां विस्थापन की सम्भावनाएं बढ़ जाती है किन्तु इस सिंचाई नहर परियोजना से किसी भी तरह का विस्थापन नहीं किया जाऐगा।

परियोजनाएं जहां स्थापित होती है वहां आस–पास के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस परियोजना से भी लोगों के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ेगे जो विकासशील होगा। यदि हम लाभ की बात करेगे तो इससे भू–स्वामियों को उचित दर पर भूमि का मुआवजा दिया जायेगा इसके अतिरिक्त दूसरे आय–अर्जन एवं व्यवसाय से जुड़ कर आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगें।

परियोजना से भू–अर्जन एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 2013 के तहत प्रभावित परिवार को लाभ मिलेगा । जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पडेगा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा गांव एवं आस–पास क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं पर कार्य कराये जायेंगें तथा गांव के युवा वर्ग/ बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर आय– अर्जन गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। क्षेत्र वासियों के निश्चित ही आय में वृद्धि होने पर उनके व्यय करने की क्षमता में वृद्धि होगी जिससे वे अपने बच्चों को अच्छे स्कुलों में पढ़ा सकते है जिससे उनके जीवत स्तर में सुधार होगी।

6.2 परियोजना के लाभ

समाजिक समाघात अध्ययन का प्रयोजन इस सिंचाई परियोजना के निर्माण का उद्देश्य तथा के निर्माण की लागत का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है। साथ ही यह भी ज्ञात करना कि सिंचाई परियोजना के निर्माण से क्या लाभ होगा।

परियोजना से लाभः

- सकल शस्य क्षेत्र में बढ़ोतरी । प्रति–वर्ष फसलों की संख्या में बढोतरी।
- इस परियोजना के क्रियान्वयन के उपरांत शस्य गहनता 205 प्रतिशत हो जायेगी।
- वर्तमान सिंचाई तंत्र को और अधिक कुशल बनाना।

- प्रभावी, सहभागी सिंचाई प्रबंधन की ओर अग्रसर होना।
- लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर अधिक बल देना। क्योंकि यह अधिक उपयुक्त एवं किफायती है तथा निमार्ण पूर्व अवधि कम है।
- घटते हुए भु–जल स्तर को फिर से चार्ज तथा पूर्नभरण करना।
- आस–पास के समुदाय हेतु निर्माण चरण के दौरान नये रोजगार का सृजन होगा।
- शस्य गहनता एवं कृषि उत्पादकता में बढोतरी जिससे खाद्यान सुरक्षा को सबलता मिलेगा।
- परियोजना क्षेत्र के कृषकों के सामाजिक एवं आर्थिक दशा में बेहतर खाद्यान्न सुरक्षा एवं आय में बढोतरी के माध्यम से सुधार होगा।
- कृषकों के कृषि एवं भूमि संसाधन प्रबंधन सम्बंधित ज्ञान एवं कौशल में बढ़ोतरी होगी।
- टिकाऊ फसल विविधता।
- कृषकों तथा आस–पास के समुदाय के कृषि कार्य प्रणाली एवं तकनीक में सुधार होगी।
- खाद्य आपूर्ति में वृद्धि ।
- कृषि योग्य भूमि में वृद्धि।
- फसल उत्पादन में वृद्धि।
- भूमि पर दोहरी फसल का उगाना ।
- आस–पास भूमि के कीमत में वृद्धि ।
- कृषकों के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बंधित दशा में सुधार होगा। (घरेलु स्तर पर खाद्य उपलब्धता के कारण)।

लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक, जहां शमन के उपायों का समाजिक समाधात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों क पूर्ण प्रकार और प्रतिकुल सामाजिक लागतों की व्याख्या समाधान, के बारे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है।

6.3 लागत – लाभ विश्लेषण की अवधारणा एवं उपागम

सामाजिक दृष्टिकोण से परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए लागत – लाभ विश्लेषण सबसे उपयुक्त तथा सर्वमान्य तरीका है। यह विश्लेषण परियोजना मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं उपयोगी कसौटी भी है। यह योजना प्राधिकरण के लिए इस बात में सहायक है कि वह परियोजनाओं के लाभों और लागतों के वर्तमान मूल्यों के बीच के अंतर को अधिकतम कर सके ताकि अनुकूलतम साधन आंवटन (Optimum Resource Allocation) उपलब्ध करने के लिए सही निवेश निर्णय कर सके। इसमें लाभों तथा लागतों के परिगणन, तुलना एवं मूल्यांकन शामिल हैं। इसका अभिप्राप्य यह है कि परियोजना में शामिल होने वाली लागतों के मुकाबले प्रतिफलों का मूल्यांकन करना।

वास्तव में, लागत – लाभ विश्लेषण का अर्थ किसी एक नीति के सामाजिक लाभों तथा अलाभों को एक सामान्य मुद्रा इकाई में परिभाषित तथा वर्णित करना।

लागत–लाभ विश्लेषण की विधियों में से लागत–लाभ अनुपात (Cost-Benefit Ratio) एक प्रमुख विधि है। यह कैश फ्लो एनालिसिस (Cash Flow Analysis) का मानक प्रक्षेपण/आउटपुट है। यह वह साधारण युक्ति है, जो लागत अथवा लाभ के परिवर्तन से परियोजना के मूल्य/महत्व कितना प्रभावित होता है, उसका मूल्यांकन करता है। अतः इसे परियोजना के जोखिम के सूचक के तौर पर माना जा सकता है।

6.4 परियोजना का लागत–लाभ विश्लेषण

वर्तमान परियोजना का लागत–लाभ विश्लेषण इसी पद्वति, लागत–लाभ अनुपात (Cost-Benefit Ratio) पर आधारित है, जो निम्नवत है:

6.4.1 General Abstract of Cost

This is prepared as per guideline of CWC for prescribed items covering direct and indirect charges.

The total cost of work including direct and indirect charges comes to Rs. 5560 Lacs.